



Neutral Citation No. 2026:AHC:14973

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या- 207 / 2026

लाल मोहम्मद

.....याचिकाकर्ता (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी (गण)

याचिकाकर्ता (गण) के अधिवक्ता

:

देवेन्द्र सिंह शीतलेश पांडे

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता

:

मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री शैलेश श्रीवास्तव को सुना गया।
2. यह याचिका परमादेश जारी करने के लिए दायर की गई है जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 2 / राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को निर्देश दिया गया है कि वह मुकदमा संख्या आरईवी/637/2018/फतेहपुर कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या आर2018022500637 (दोस्त मोहम्मद और अन्य बनाम लाल मोहम्मद) का निर्णय उत्तर प्रदेश भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 के अंतर्गत एक निर्धारित समय सीमा के भीतर करे।
1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 3 और 4 द्वारा दायर की गई उपर्युक्त पुनरीक्षण याचिका जिसमें याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी पक्षकार बनाया गया है प्रत्यर्थी संख्या 2/राजस्व परिषद उ० प्र० लखनऊ के समक्ष लंबित है। उन्होंने आगे बताया कि मामले की आदेश पत्र की एक प्रति याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 2 के रूप में संलग्न की गई है ताकि यह दर्शाया जा सके कि मामले की सुनवाई तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही है।
2. मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना तथा तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी संख्या 2 को निर्देश दिया जाता है कि वह उ० प्र० भूराजस्व अधिनियम 1901 की धारा 219 के तहत उपर्युक्त मुकदमा संख्या आरईवी/ 637/ 2018/ फतेहपुर कम्प्यूटरीकृत मुकदमा संख्या आर2018022500637 (दोस्त मोहम्मद और अन्य बनाम लाल मोहम्मद) का निर्णय पक्षों को कानून के अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः इस आदेश की प्रमाणित प्रति उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर करे।
3. तदनुसार रिट याचिका का अंतिम रूप से *निस्तारण* किया जाता है।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



21 जनवरी 2026

रमीज़

Translated version. Not for Legal Use.

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"